



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित:
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 1980/वैशाख 24, 1902

No. 132]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 1980/VAISAKHA 24, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1980

सा. का. नि. 261(अ).—सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 133 के उपखण्ड (1) में यथापेक्षित मोटर गाड़ी (संरक्षी शिरास्त्राण) नियम, 1979 का प्रारूप भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) को दिनांक 24 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1250 के साथ भारत के दिनांक 8 अक्टूबर, 1979 के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (1) के पृष्ठ 2350 पर प्रकाशित हुआ था जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र जनता को 15 अक्टूबर, 1979 को उपलब्ध किया गया,

और उक्त नियमों के प्रारूप पर जो आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए, केन्द्रीय सरकार ने उन पर विचार किया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 85-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम मोटर गाड़ी (संरक्षी शिरास्त्राण) नियम, 1980 है।

(2) ये 1 नवम्बर, 1980 को प्रवृत्त होंगे।

2. संरक्षी शिरास्त्राण की किस्म और नमूना.—किसी भी श्रेणी के मोटर साईकिल का चालक या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (साईड कार में बैठने वालों को छोड़) सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार का संरक्षी शिरास्त्राण पहनेगा, जो भारतीय मानक संस्थान नमूना संख्या आई. एस. 4151-1976 समय-समय पर यथा-संशोधित, के अनुरूप होगा।

3. सिख स्ट्रियों के लिए अपवाद.—मोटा गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 85-ए के उपबन्ध सिख स्ट्रियों के लिए लागू नहीं होंगे।

[फा. संख्या टी डब्ल्यू/टी जी एम (54)/78-2]

बी. डी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1980

G.S.R. 261(E).—Whereas the draft of the Motor Vehicles (Protective Headgears) Rules, 1979, was published with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R.1250, dated the 24th September, 1979, at page 2350 of the Gazette of India, 1979, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 6th October, 1979, as required by sub-section (i) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby up to a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 15th October, 1979;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 85-A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Motor Vehicles (Protective Headgears) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the 1st November, 1980.

2. Specification of the description of a protective headgear.—Every person driving or riding (otherwise than in a side car) on a motor cycle of any class shall, while in a public place, wear a protective headgear of such description as conforms to the Indian Standards Institution Specification No. IS: 4151-1976 as amended from time to time.

3. Exception in the case of Sikh women.—The provisions of section 85-A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) shall not apply to a woman who is a Sikh.

[F. No. TW/TGM(54)/78-II]

B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.